TaxcodeIN | www.taxcode.in

प्रस्तुत करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों,जिनके कारोबार का मूल स्थान मणिपुर राज्य में है, के लिए जून, 2023 को समाप्त तिमाही के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख को जुलाई, 2023 के इकतीसवें दिन तक विस्तारित करते हैं।

[फा. सं. सीबीआईसी-20006/10/2023-जीएसटी]

आलोक कुमार, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2023

No. 20/2023 – CENTRAL TAX

G.S.R. 508 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the due date for furnishing the return in **FORM GSTR-3B** for the quarter ending June, 2023 till the thirty-first day of July, 2023, for the registered persons whose principal place of business is in the State of Manipur and are required to furnish return under proviso to sub-section (1) of section 39 read with clause (ii) of sub-rule (1) of rule 61 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017.

[F. No. CBIC-20006/10/2023-GST]

ALOK KUMAR, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2023

सं. 21/2023-**केंद्रीय कर**

सा.का.नि. 509(अ).—आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 26/2019-केंद्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 452(अ), तारीख 28 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करते है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना के, पहले पैरा में, पांचवें परंतुक में:–

(i) शब्दों, अक्षरों और अंक, "माह अप्रैल 2023 और माह मई, 2023" के स्थान पर, शब्दों, अक्षरों और अंकों, "माह अप्रैल, 2023, माह मई, 2023 और माह जून, 2023" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) शब्दों, अक्षरों और अंक, "जून, 2023 के तीसवें दिन" के स्थान पर, शब्दों, अक्षरों और अंक, "जुलाई, 2023 के इकतीसवें दिन" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 30 जून, 2023 से प्रभावी मानी जाएगी।

[फा. सं.सीबीआईसी-20006/10/2023-जीएसटी]

आलोक कुमार, निदेशक

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 26/2019-केंद्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019,भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 452(अ), तारीख 28 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 16/2023-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2023, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. 450(अ) तारीख 19 जून, 2023 द्वारा संशोधित की गई थी ।

TaxcodeIN | www.taxcode.in